देश के सशक्तिकरण के लिए बहनों का सशक्तिकरण आवश्यक

रक्षाबंधन पर माता-बहन-बेटियों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लें, भाई को राखी बांधें तो पूछें टीका लगवाया कि नहीं : चौहान

भोपाल (काप्र)।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण बहनों के सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार मेरे प्रयास रहे हैं कि मैं माँ-बहन-बेटियों की जिंदगी में कैसे खुशियाँ लाऊँ। उनकी सुरक्षा, सम्मान एवं कल्याण के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में बहनों का शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक सशक्तिकरण किया जा रहा है।

श्री चौहान ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश आत्म-निर्भर बहनों के बिना नहीं बन सकता है। प्रदेश में बहनों को आत्म-निर्भर बनाने विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। जल्दी ही महिला पंचायत बुलाई जायेगी, जिसमें बहनों से चर्चा के उपरांत लाड़ली लक्ष्मी जैसी अन्य योजनाएँ भी बनाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की कि वे रक्षाबंधन के पावन अवसर पर माँ-बहन-बेटियों के अधिकारों की रक्षा, उनके सम्मान, उनके कल्याण और उनके सशक्तिकरण का संकल्प लें। हम संकल्प लें कि उनके सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए उन्हें सभी अवसर दिए जाएंगे।

श्री चौहान ने प्रदेश की सभी बहनों से कहा कि रक्षाबंधन पर जब वे अपने भाई को राखी बांधे तो उनसे पूछें कि उन्होंने कोरोना का टीका लगवाया कि नहीं। रक्षाबंधन के साथ कोरोना से सुरक्षा के बंधन के रूप में टीका अवश्य लगवाएँ। बहनें स्वयं भी टीका लगवाना न भूलें। प्रदेश में आगामी 25 एवं 26 अगस्त को टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें 25 तारीख को पहला एवं दूसरा तथा 26 तारीख को दूसरा डोज लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर प्रदेश की बहनों को संदेश दिया। उन्होंने सभी माता-बहनों तथा बेटियों के सुखी, स्वस्थ्य एवं समृद्ध जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

श्री चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर राखी बांधने आई बहनों कु. कनक कुशवाह तथा शैली तिवारी से राखी बंधवाकर अपने दिन की शुरुआत की। उन्होंने अपने हाथ से बहनों को मिठाई खिलाई तथा शुभाशीष दिया।

पूजनीय हैं माँ- बहन-बेटियाँ: मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत में अनादिकाल से माँ-बहनङ्कबेटियों का सम्मान है तथा वे हमारे लिए पूजनीय हैं। भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ ईश्वर का वास होता है।

भारतीय परंपराओं की वाहक: मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनें हमारी संस्कृति, जीवनमूल्य, व्रत, उत्सव, तीज-त्यौहार आदि परंपराओं की वाहक हैं। भारत की परिवार व्यवस्था पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है तथा इसकी धुरी हैं नारियाँ। प्रदेश में बेटियों के पूजन के साथ शासकीय कार्य प्रारंभ होता है। बेटियों का सम्मान एवं सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है।

वर्ष 2024 तक हर घर को नल से पानी: श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2024 तक न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर घर को नल से पेयजल दिया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है।

बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि: श्री चौहान ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए हर जिले में महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जहाँ महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वालों को फाँसी की सजा का प्रावधान किया गया है। बेटियों के साथ डरा-धमकाकर अथवा धोखे से विवाह करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के लिए धार्मिक स्वातंत्र्य कानून बनाया गया है। गुमशुदा बेटियों को घर वापिस लाने के लिए मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है।

वैक्सीन के दोनों डोज लगवाकर स्वयं को करें कोरोना से सुरक्षित: मुख्यमंत्री

भोपाल (काप्र)।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के अवसर प्रदेशवासियों को संदेश देते हुए कहा है कि वे कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगाकर स्वयं, परिवार, प्रदेश तथा देश को सुरक्षित करें। यह बहनों के लिए भाइयों की ओर से सच्चा तोहफा होगा।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में नियमित टीकाकरण के साथ ही आगामी 25 एवं 26 अगस्त को टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर पात्र व्यक्ति दोनों डोज अवश्य लगवाएँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकाकरण महाअभियान में 25 अगस्त को कोरोना वैक्सीन का पहला एवं दूसरा डोज तथा 26 अगस्त को दूसरा डोज निर्धारित केन्द्रों पर लगाया जाएगा। श्री चौहान ने सभी कोरोना वॉलेंटियर्स, जन-प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाओं, धर्मगुरुओं, समाज सेवियों, विभिन्न संगठनों सहित आमजन से अपील की है कि वे टीकाकरण महाअभियान में अपना पूरा सहयोग देकर इसे पूर्ण रूप से सफल बनाएँ।

कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ: श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रित हुआ है, परन्तु पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी कोरोना के प्रकरण आ रहे हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं। पूर्ण सावधानी बरतें तथा कोविड अनुकूल व्यवहार करें।

टीका देता है 93 प्रतिशत सुरक्षा: श्री चौहान ने कहा कि वैक्सीन कोरोना के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा चक्र है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि वैक्सीन कोरोना के विरूद्ध 93 प्रतिशत सुरक्षा देता है। परन्तु इसके लिए वैक्सीन के दोनों डोज निर्धारित समयावधि में लगवाना जरूरी है। यह वैक्सीन तभी पूरी तरह प्रभावी होगा, जब इसके दोनों डोज लिए जाएँ।

12 प्रतिशत ने ही लगवाया है दूसरा डोज: श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 60 प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को कोरोना का प्रथम डोज लग गया है, परन्तु 12 प्रतिशत ने ही दूसरा डोज लगवाया है। जिन्होंने कोविशील्ड टीका लगवाया है वे 84 दिन बाद तथा जिन्होंने कोवैक्सीन टीका लगवाया है वे 28 दिन बाद दूसरा डोज अवश्य लगवाएँ।

शिक्षा विकास के लिए अनिवार्य - राज्यपाल

भोपाल (काप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों द्वारा रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ दी। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने बहनों को आशीर्वाद एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विकास के लिए अनिवार्य है। शिक्षित व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह बेहतर होता है। उन्होंने बालिकाओं से कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर देश और समाज के विकास में अपना योगदान दें।

राज्यपाल को इस अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी की बहन बी.के. अवधेश, बालिका गृह की प्रियंका एवं सलोनी विश्वकर्मा और एस.ओ.एस. बालग्राम की बच्चियों ने रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ दीं।

दो दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान की तैयारियों पर नजर रखेंगे जिलों के प्रभारी मंत्री

मंत्रि-परिषद की बैठक स्थगित कर मंत्रियों को सौंपे गए दायित्व

भोपाल (काप्र)।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सितम्बर माह तक प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों को कोविड से बचाव के लिए प्रथम डोज लग जाए।

एक विशेष रणनीति के तहत यह लक्ष्य तय किया गया है। वैक्सीनेशन महाअभियान का द्वितीय चरण अगस्त माह में ही सम्पन्न करने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो।

श्री चौहान ने कहा कि आगामी 24 अगस्त को होने वाली मंत्रि-परिषद की बैठक स्थगित कर समस्त मंत्रीगण को अपने प्रभार के जिलों में 25 और 26 अगस्त के वैक्सीनेशन महाअभियान की तैयारियाँ सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान में 25 अगस्त को कोरोना वैक्सीन का पहला एवं दूसरा डोज तथा 26 अगस्त को दूसरा डोज निर्धारित केन्द्रों पर लगाया जाएगा। इस समय मध्यप्रदेश वैक्सीनेशन में देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में अभी तक 4 करोड़ से अधिक लोग वैक्सीन की प्रथम और द्वितीय डोज़ लगवा चुके हैं। प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए पात्र आबादी 5 करोड़ 48 लाख 90 हजार है।

श्री चौहान ने सभी जिलों के सामाजिक संगठनों, कोरोना वॉलेंटियर्स, जन-प्रतिनिधियों और आमजन से अपील की है कि वे टीकाकरण महाअभियान में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। राजनैतिक दल भी जनता के हित से जुड़े इस अभियान में अपना रचनात्मक योगदान अवश्य प्रदान करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शासकीय विभागों और विभिन्न पंथों-धर्मों के प्रमुखों से भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया है।

प्रदेश को मिलेंगे 29 आईएएस-आईपीएस अफसर

सीएम के उप सचिव कोचर समेत राप्रसे के 18 अफसरों का होगा आईएएस में प्रमोशन

भोपाल (काप्र)। मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ उप सचिव सुधीर कोचर समेत राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में प्रमोशन मिलेगा। जीएडी (जीडी) कार्मिक ने पीएससी के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अगले सप्ताह इसे यूपीएससी को भेजा जाएगा।

इसी तरह, राज्य पुलिस सेवा के 11 अफसरों को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में प्रमोशन देने की तैयारी हो गई है। गृह विभाग ने भी इसका प्रस्ताव तैयार किया है। आईएएस व आईपीएस के लिए अगले माह डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) की बैठक दिल्ली में होगी।

प्रदेश में इस वर्ष प्रमोशन के माध्यम से आईएएस संवर्ग आवंटन के लिए 18 पद उपलब्ध हैं। इसके लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के 54 अधिकारियों का प्रस्ताव संघ लोकसेवा आयोग को भेजा जाना है। विभाग का कहना है, 1994 बैच के विवेक सिंह और 1995 बैच के पंकज शर्मा के नाम भी विचार के लिए रखे जाएंगे। दोनों को जांच चलने के कारण पिछले साल मौका नहीं मिल पाया था।

ये बन सकते हैं आईएएस: आईएएस में प्रमोशन के लिए वर्ष 1994 से लेकर वर्ष 2000 तक के बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा के 54 अफसरों के नामों पर विचार किया जाएगा। इनमें प्रमुख तौर पर मुख्यमंत्री के डिप्टी सेक्रेट्री सुधीर कोचर, रानी बाटड, चंद्रशेखर शुक्ला, नारायण प्रसाद नामदेव, दिलीप कुमार कापसे, बुद्धेश वैद्य, जयेंद्र कुमार विजयवत, अभय अरविंद बेड़ेकर, अजय देव, नियाज अहमद खान, मनोज मालवीय, नीतू माथुर, अंजू पवन भदौरिया और जमना भिडे के नाम शामिल हैं।

ये बन सकते हैं आईपीएस: गृह विभाग के सूत्रों का कहना है कि राज्य पुलिस सेवा से आइपीएस अवॉर्ड के लिए 11 पद उपलब्ध हैं। अनिल कुमार मिश्रा और देवेंद्र कुमार सिरोलिया को इस बार भी जांच चलने के कारण मौका नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि सेवा अभिलेखों के आधार पर 1995-96 बैच के अधिकारी प्रकाश चंद्र परिहार, निश्चल झारिया, रसना ठाकुर, संतोष कोरी, जगदीश डाबर, मनोहर सिंह मंडलोई, रामजी श्रीवास्तव, जितेंद्र सिंह पवार, सुनील तिवारी, संजीव कुमार सिन्हा और संजीव कुमार कंचन को आइपीएस अवॉर्ड हो सकता है। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है।

ईको-फ्रेंडली मूर्ति निर्माण के लिए दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला

भोपाल (काप्र)। गणेश एवं दुर्गा पूजा पर्व के दौरान ईको-फ्रेंडली मूर्ति निर्माण के लिये 25 एवं 26 अगस्त को वेबिनार के माध्यम से जागरूकता-सह-प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी बृजेश शर्मा ने बताया कि जागरूकता सह-प्रशिक्षण कार्यशाला में ईको फ्रेंडली मूर्ति निर्माण करने का ऑनलाइन प्रशिक्षण कुशल कारीगरों द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यशाला का वेबिनार 25 एवं 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें आमजन भी शामिल हो सकेंगे।

भारत से तेल खरीदकर साउथ अफ्रीका में दोगुने दाम में बिकवाने का झांसा

फैक्ट्री संचालक ने 20 लाख में 10 लीटर खरीदा, निकला फूड ऑयल

भोपाल (काप्र)।

भारत से सस्ते दाम पर शांजा ऑयल खरीदकर साउथ अफ्रीका में महंगे दाम में बिकवाने का झांसा देकर जालसाज ने भोपाल के कारोबारी से 20 लाख रुपए ठग लिए। जालसाज ने खुद को घाना का रहने वाला बताया था।

जालसाज के झांसे में आए कारोबारी ने कोयंबटूर, तमिलनाडु से 10 लीटर ऑयल खरीदने के लिए करीब 20 लाख रुपए ऑनलाइन भुगतान कर दिया। तेल का दाम 2 लाख रुपए प्रति लीटर था। हबीबगंज पुलिस ने कारोबारी की शिकायत पर छह आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल, आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि शांजा ऑयल नाम से देश में कोई ऑयल नहीं है। आरोपियों ने जो तेल भेजा था, वह फूड ऑयल है। हबीबगंज थाना के एसआई मनोज यादव ने बताया कि अरेरा कालोनी निवासी जयभगवान सांगवान की गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रो ऑटो इंडस्ट्रीज नाम से फैक्ट्री है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 24 जुलाई 2021 की शाम करीब साढ़े सात बजे उनके वॉट्सऐप पर एक मैसेज आया। मैसेज भेजने वाले ने खुद का नाम टोनी मेनसाह, घाना का रहने वाला बताया। टोनी ने उन्हें घोड़ों का फूड सप्लीमेंट, इबोला वायरस की वैक्सीन की खरीदी-बिक्री को लेकर व्यवसायिक चर्चा की। यह बात जयभगवान ने अपने बेटे साहिल को बताई। साहिल ने टोनी से संपर्क किया। टोनी ने साहिल को बताया कि भारत में हिंदुस्तान एग्रो के नाम से कोयंबटूर, तमिलनाडु में एक कंपनी है, जो शांजा ऑयल का उत्पादन करती है। यह ऑयल घोड़ों के उपयोग में आता है। उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. कश्मीरा हैं। इनसे आप शांजा ऑयल खरीदकर हमारी कंपनी घाना कमर्शियल एग्रीकल्चर को दोगुने दाम में बेच देना। इसके लिए घाना कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के सीईओ से बात करनी पड़ेगी। टोनी ने बताया कि हमारी कंपनी को हर तीन महीने में 350 गैलेन शांजा ऑयल की डिमांड रहती है।

दो लाख रुपए प्रति लीटर है तेल: टोनी ने बताया कि कंपनी 80 प्रतिशत पैसा एडवांस में, जबकि 20 प्रतिशत डिलीवरी के साथ भुगतान करती है। डील से काफी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का 70 प्रतिशत तुम रख लेना, 30 प्रतिशत हम लेंगे। टोनी के झांसे में आए साहिल ने उसके द्वारा बताई गई कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. कश्मीरा से फोन पर बात कर 5 लीटर ऑयल करीब 10 लाख रुपए में खरीद लिया। भुगतान के लिए डॉ. कश्मीरा की असिस्टेंट रूही ने उनके वॉट्सऐप नंबर पर बैंक खाते का नंबर भेजा। 6 अगस्त को उन्होंने 10 लाख रुपए आनलाइन ट्रांसफर कर दिए। कोरियर के जरिए उनके पास 5 लीटर ऑयल भी आ गया। इसी बीच टोनी ने फोन कर बताया कि घाना की कंपनी के कर्मचारी सैंपल चेक करेंगे। सैंपल के लिए दो गैलन ऑयल की जरूरत होगी। तभी वे अप्रूव करेंगे।

दो बार में 20 लाख रुपए ले लिए: इस पर साहिल ने फिर से 5 लीटर ऑयल खरीदने के लिए ऑनलाइन भुगतान कर दिया। 11 अगस्त को डॉ. कश्मीरा के कहने पर साहिल मुंबई पहुंचा। जहां, घाना कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के सीईओ डॉ. क्रामी ओसाई द्वारा भेजे गए ई-मेल के अनुसार विदेशी नागरिक (नीग्रो) एशियन हॉस्पिटल के पास उन्हें मिला, जिसने खुद का नाम राजू बताया। उसने साहिल से सैंपल लिया। थोड़ी देर बाद राजू ने फोन कर बताया कि आपका सैंपल पास हो गया है। इसके बाद सीईओ ओसाई ने मेल किया कि 25 गैलन ऑयल और अरेंज कर दो। जब साहिल ने कहा कि पहले के ऑर्डर का पैसा नहीं मिला तो आरोपी एक साथ भुगतान करने का झांसा देने लगे। ठगी का अहसास होने के बाद साहिल ने कंपनी का जीएसटी नंबर खंगाला, जो फर्जी निकला। जिस बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे, वह बैंक खाता आईडीबीआई, लाल बंगला, अहमदाबाद गुजरात से संचालित होना पाया गया। टोनी ने साहिल को जिन कंपनियों के एमडी, सीईओ के नंबर दिए थे, वे सभी भी फर्जी थे। यह सभी लोग ठगी की गैंग का हिस्सा थे।

कोरियर से भेजा सामान्य ऑयल: जालसाजों ने कोरियर से जो ऑइल साहिल को भेजा था, वह भी सामान्य फूड ऑइल है। पुलिस का कहना है कि ठगी का यह नया तरीका है। पुलिस आरोपियों की पहचान करने के लिए उनके बैंक खातों की डिटेल खंगाल रही है। हालांकि पुलिस को यह आशंका है कि आरोपियों ने ठगी की रकम मंगाने के लिए फर्जी खाते खुलवाए होंगे।

स्पेशल खबर | प्रदेश के निजी स्कूलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा...

पैरेंट्स को बताना होगा किस मद में कितनी ली फीस

भोपाल (काप्र)।

मध्य प्रदेश के स्कूलों में मनमानी फीस वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्कूलों को पैरेंट्स को बताना होगा कि कि किस मद में कितनी फीस ले रहे हैं।

पैरेंट्स की शिकायतों पर जिला शिक्षा समिति को चार हफ्तों में फैसला करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जागृत पालक संघ की याचिका पर दिया। जागृत पालक संघ मध्यप्रदेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैरेंट्स को फीस की जानकारी देने के बाद ये जानकारी स्कूलों से जिला शिक्षा समिति को लेनी होगी। इसके बाद प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग को इस जानकारी को दो हफ्ते में अपनी वेबसाईट पर अपलोड करना होगा। सुको ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर किसी पालक को स्कूल से कोई शिकायत है तो वह जिला शिक्षा समिति के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा और समिति को चार सप्ताह में इसका निराकरण भी करना होगा। जागृत पालक संघ के सचिन माहेश्वरी, दीपक शर्मा, विशाल प्रेमी, स्व। देव खुबानी, प्रतीक तागड, धीरज हसीजा की तरफ से एडवोकेट अभिनव मल्होत्रा, मयंक क्षीरसागर व चंचल गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी।

इस वजह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला: गौरतलब है कि टयुशन फीस के नाम पर स्कूल संचालकों द्वारा पूरी फीस वसूले जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस मामले में इंदौर के जागृत पालक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट चंचल गुप्ता और सचिव सचिन माहेश्वरी व अन्य सदस्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। पहले पैरेंट्स की शिकायत पर जिला प्रशासन ध्यान ही नहीं देता था। अधिकारी अधिकार क्षेत्र नहीं होने का कहकर मामला टाल देते थे। लेकिन, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। 2020 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि निजी स्कूल केवल टयूशन फीस ले सकेंगे। अधिकांश स्कूल टयुशन फीस की आड़ में पूरी फीस ले रहे थे।

पैरेंट्स को 15 फीसदी ही डिस्काउंट मिले- प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन: प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है। इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत राजस्थान के स्कूलों को दी है, वही राहत प्रदेश के स्कूलों दे।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के स्कूल संचालकों को कहा था कि निजी स्कूल पूरी फीस में से सिर्फ 15 प्रतिशत की कटौती ही पैरेंट्स को दें, बाकी पूरी फीस पैरेंट्स को देनी होगी। अधिवक्ता मयंक क्षीरसागर ने निजी स्कूलों की इस मांग पर आपत्ति लेते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया कि पिछला सत्र पूरा बीत चुका है और निजी स्कूल एसोसिएशन ने अपनी याचिका में स्वीकार भी किया है कि वो आदेश को स्वीकारते हुए इस अनुसार फीस ले चुके हैं। इसलिए इस समय इस तरह की मांग अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त तर्कों से सहमत होते हुए स्कूल एसोसिएशन की याचिका निरस्त कर दी।

वर्तमान सत्र की फीस का मामला एमपी हाईकोर्ट में लंबित: वर्तमान सत्र में भी ट्यूशन फीस के नाम पर निजी स्कूल पूरी फीस ले रहे हैं। वर्तमान सत्र में की गई फीस बढ़ोतरी, फीस के कारण पढ़ाई बंद करने, टीसी नहीं देने और परीक्षा परिणाम रोकने जैसी परेशानियों को लेकर जागृत पालक संघ ने अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा के माध्यम से मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका लगाई है। इस मामले पर सितंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई होना संभावित है।